संख्या – 1343/1–10–2010–14(15)/2009

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2010

विषयः वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2010 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन कुल धनराशि **रू0 9,03,61,000/– (रुपये नौ करोड़ तीन लाख इकसठ हजार मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2009 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स की मद संख्या –18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यो पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगी कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच

-2-

दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पूर्ण सूचना / आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

4. वर्ष 2009–10 में बाढ़ / बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत / रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि वर्ष 2009 में बाढ़ / बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत / रेस्टोरेशन की अनुमन्य श्रेणी की परियोजनाओं पर ही धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

5. बाढ़ / बादल फटने से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यो की तात्कालिक मरम्मत / रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तो एवं प्राविधानों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत रु0 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत रु0 20 लाख से अधिक, परन्तु रु0 1 करोड़ से अनधिक हो, तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमदोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न जनपदों के लिये शासनादेश संख्या 3665 / 1–10–2008–12(73) / 2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के साथ संलग्न विवरण में रू0 20.00 लाख तक की सिंचाई विभाग की परियोजना के क्रमांक –18, 19 व 20 में उल्लिखित परियोजना एक ही परियोजना से सम्बन्धित है। इसी प्रकार क्रम संख्या–21 व 22 में प्रस्तावित कार्य एक ही परियोजना से सम्बन्धित हैं। अतः इन परियोजनाओं को एक परियोजना मानकर शासनादेश संख्या 3665 / 1–10–2008–12(73) / 2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनराशि व्यय की जाय तथा सक्षम स्तरीय समिति यह भी जांच करेगी कि जिला स्तर पर परियोजना को भागों में विभाजित क्यों किया गया और परियोजना के औचित्य पर विचार करेगी।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8. तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत / रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नही किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

- 3 -

9. मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची माननीय जन–प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

10. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई है।

11. बाढ़ के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150 मिमी0 वर्षा 24 घण्टे के अंदर रिकार्ड की गई हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स में बादल फटने (Cloud Brust) की घटना मानते हुये दैवी आपदा माना जायेगा।

12. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

13. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मास्टररोल, एम0बी0 तथा सम्बन्धित बाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोंग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त कार्यो की निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में किये गये आपदा सम्बन्धी कार्यो का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइड पर जन सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

15. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

-4-

16. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उसे शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाय।

17. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

18. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

19. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का व्यय अनिवार्य रूप से सी0आर0एफ0 की गाईड लाइन्स के अनुरूप किया जाय। इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(एस0एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या –1343 (1)/1–10–2010–14(15)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी बलरामपुर।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश दुबे)
संयुक्त सचिव

संख्या – 1343 / 1–10–2010–14(15) / 2009
दिनांक 30 मार्च, 2010 का संलग्नक

जनपद बलरामपुर

रू0 20.00 लाख तक की परियोजना

सिंचाई विभाग

क. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
1	कटहा नाले के दाये तट पर स्थित ग्रा0 चौहत्तर खुर्द कटाव निरोधक कार्य पर क्षतिग्रस्त कटर्स के पुनर्स्थापना कार्य प्राक्कलन	18.21	प्राप्त	मरम्मत
2	कटहा नाले के दाये तट पर स्थित चौहत्तर खुर्द बोध के क्षतिग्रस्त भाग के पुर्नस्थापना प्राक्कलन	19.20	प्राप्त	मरम्मत
3	राप्ती नदी के दाये तट पर स्थित राजघाट बांध के क्षतिग्रस्त स्लोप पटरी के पुर्नस्थापना कार्य प्राक्कलन	19.66	प्राप्त	मरम्मत
4	राप्ती नदी के दाये तट पर स्थित राजघाट बांध के किमी 6.5 से 7.0 के मध्य ग्रा0 कोलवा के पास कटाव निरोधक कार्य पर क्षतिग्रस्त कटर्स के पुर्नस्थापना प्राक्कलन	19.66	प्राप्त	मरम्मत
5	राप्ती नदी के दाये तट पर स्थित राजघाट बांध क किमी 10.500 से 10.700 के मध्य ग्रा0 रजवापुर की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य प्राक्कलन	19.89	प्राप्त	मरम्मत
6	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना भोजपुर बांध के किमी 10.700 से 11.00 के मध्य ग्रा0 कोल्हुईया के पास कटाव निरोधक सुरक्षा कार्य प्राक्कलन	19.98	प्राप्त	मरम्मत
7	राप्ती नदी के दाये तट पर तथा सुवाव नाले के बायें तट पर स्थित एम0एल0टी0डी0 बांध के क्षतिग्रस्त भाग के पुर्नस्थापना कार्य प्राक्कलन	19.50	प्राप्त	मरम्मत

-2-

8	राप्ती नदी के दायें तट पर ग्राम जबदही को कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु परियोजना प्राक्कलन	19.78	प्राप्त	मरम्मत
9	राप्ती नदी के दायें तट पर ग्राम जबदहा को कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु परियोजना प्राक्कलन	19.96	प्राप्त	मरम्मत
10	राप्ती नदी के बाये तट पर स्थित ग्रा0 बेलहा कटान स्थल पर क्षतिग्रस्त डैम्पनर, लान्चिंग एप्रन के पुर्नस्थापना प्राक्कलन	19.97	प्राप्त	मरम्मत
11	राप्ती नदी के दाये तट पर शहियाह गर्ल्स कालेज कटाव निरोधक कार्य पर क्षतिग्रस्त कार्यो के पुर्नस्थापना प्राक्कलन	19.75	प्राप्त	मरम्मत
12	बूढ़ी राप्ती नदी के बायें तट पर भगवानपुर बांध के क्षतिग्रस्त भाग के पुर्नस्थापना कार्य प्राक्कलन	19.68	प्राप्त	मरम्मत
13	राप्ती नदी के बायें तट पर करमहना बांध के किमी 0.0 से 5.400 के मध्य क्षतिग्रस्त भाग के पुर्नस्थापना कार्य प्राक्कलन	19.92	प्राप्त	मरम्मत
14	कटरा शंकरनगर कटान स्थल पर क्षतिग्रस्त झांवा कटर्स के पुर्नस्थापना कार्य का प्राक्कलन	7.91	प्राप्त	मरम्मत
15	करमहना बांध के किमी 4.850 के पास राप्ती नदी की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण बांध की सुरक्षा का प्राक्कलन	19.99	प्राप्त	मरम्मत
16	पिपरहिया जमुनी बांध क्षतिग्रस्त टाप एवं स्लोप की पुर्नस्थापना का कार्य	7.89	प्राप्त	मरम्मत
17	इमिलिहा खादर बांध पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण टाप एवं स्लोप की पुर्नस्थापना का कार्य	16.50	प्राप्त	मरम्मत
18	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना रिटायर्ड बांध के किमी 0.00 से 1.400 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांध की पुर्नस्थापना कार्य	19.98	प्राप्त	मरम्मत
19	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना रिटायर्ड बांध के किमी 1.400 से 2.800 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांध की पुर्नस्थापना	19.95	प्राप्त	मरम्मत

20	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना रिटायर्ड बांध के किमी 2.800 से 4.300 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कार्य	19.98	प्राप्त	मरम्मत
21	जमुनी इमिलिहा बांध के किमी 3.800 से किमी 4.00 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	19.80	प्राप्त	मरम्मत
22	जमुनी इमिलिहा बांध के किमी 4.650 से किमी 5.00 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	19.80	प्राप्त	मरम्मत
23	इमिलिहा खादर बांध के कट भरने बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण में बांध की पुर्नस्थापना का कार्य	19.85	प्राप्त	मरम्मत
24	धोबैनिया नाले के बाये तट पर स्थित ठठरिया गांव की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन	19.25	प्राप्त	मरम्मत
25	राप्ती नदी के बाये तट पर स्थित टेंगनहिया मानकोट ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन	19.99	प्राप्त	मरम्मत
26	विलोहा बनकासिया बांध के किमी 0.00 से 3.400 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त भाग की पुर्नस्थापना कार्य	12.90	प्राप्त	मरम्मत
27	कदरहवा ड्रेन के किमी 6.200 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	17.50	प्राप्त	मरम्मत
28	पिपराताल ड्रेन के किमी 0.500 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	9.10	प्राप्त	मरम्मत
29	बंजरिया ड्रेन के किमी 0.450 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	3.60	प्राप्त	मरम्मत
30	तिलहरलाल ड्रेन के किमी 3.300 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	2.50	प्राप्त	मरम्मत
31	तिलहरलाल ड्रेन के किमी 6.250 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	1.50	प्राप्त	मरम्मत
32	तिलहरलाल ड्रेन के किमी 6.600 पर निर्मित वीआरबी के फर्श एवं रम्प की क्षति	1.50	प्राप्त	मरम्मत

-4-

33	उतरौला पम्प हाउस के अप स्ट्रीम में राप्ती नदी के बायें बैंक पर नदी द्वारा क्षतिग्रस्त बैंक के मरम्मत का कार्य	17.75	प्राप्त	मरम्मत
	योग :—	532.40		

लोक निर्माण विभाग

क. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
1	तुलसीपुर–देहात (गनवरिया) मार्ग के डिप के पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य	3.00	प्राप्त	मरम्मत
2	टी0एस0सी0 मार्ग से पिपरहवा सदवापुर बाया रामपुर भारी ठकुरापुर मार्ग के कि0मी0 2, 5 व 6 में क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य	8.00	प्राप्त	मरम्मत
3	तुलसीपुर कोयलावासा मार्ग किमी 9 मं 1X900एमएम ह्यूम पाइप पुलिया टूट गयी है एवं 100 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त है	2.80	प्राप्त	मरम्मत
4	हरिहरगंज ललिया बनकटवा मार्ग के किमी 10 व 11 में बोगी ऐक्शन हो गया है	8.00	प्राप्त	मरम्मत
5	हर्रैया नरायनपुर कौवापुर मार्ग के किमी 14 में पुरानी पुलिया टूट गयी है एवं किमी 18 में 100 मी0भाग बह गया है	14.50	प्राप्त	मरम्मत
6	चौधरीडीह मथुरा मार्ग के किमी 19 में डिप किमी 20 में पुलिया टूट गयी है	14.50	प्राप्त	मरम्मत
7	शिवपुरलालपुर विशुनपुर मार्ग के किमी 5 में हेंगहानाला सेतु का एप्रोच बह गया है एवं किमी 2 में डिप टूट गयी है	3.20	प्राप्त	मरम्मत
8	उतरौला पचपेड़वा चंदनपुर मार्ग से पाला पाली मार्ग के किमी 1 में पुलिया का बिगवाल टूट गयी है	1.50	प्राप्त	मरम्मत
9	बलरामपुर बाई पास मार्ग किमी 2,3,4 एवं 5 में जगह–जगह बोगी ऐक्शन हो गया है	10.00	प्राप्त	मरम्मत

-5-

10	पचपेड़वा मार्ग से मदरहिया मार्ग के किमी 1 में 300मी, किमी 6 में 200 मी0 किमी 7 में 1000मी0 एवं किमी 8 में 500मी0 भाग में मार्ग बह गया है	13.40	प्राप्त	मरम्मत
11	त्रिलोकपुर मजगवा मार्ग के किमी 5 में 1˜ 3.00 मी0 स्पान की आरसीसी पुलिया टूट गयी है	5.55	प्राप्त	मरम्मत
12	बेनीनगर सम्पर्क मार्ग के किमी 1 में 900मी किमी 2 में 300 मीटर भाग मे बोगी ऐक्शन हो गया है	13.60	प्राप्त	मरम्मत
13	सोनपुर से चतुरनगर सम्पर्क मार्ग के किमी 1,2,3,4,5 में मार्ग जगह–जगह टूट गया है	18.50	प्राप्त	मरम्मत
14	ललिया से शिवपुरा मार्ग के किमी 1 में 100मी0भाग बह गया है	11.00	प्राप्त	मरम्मत
	योग :–	127.55		

नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

क. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
1	मोहल्ला पूरबटोला पूर्वी में श्री सीताराम स0नायक के घर से तुलसीपुर रोड तक डामर सड़क मरम्मत कार्य।	16.39	प्राप्त	मरम्मत
2	अंधियारी वार्ड में रामदुलारे के घर से मस्जिद होते हुए सिंगारी देवी के स्कूल तक डामर सड़क मरम्मत कार्य।	6.40	प्राप्त	मरम्मत
3	अंधियारी वार्ड में खन्ता से श्री राम अचल के घर तक डामर सड़क का मरम्मत कार्य।	16.56	प्राप्त	मरम्मत
4	मोहल्ला गदुरहवा दक्षिणी में याकूब के खेत से निकट समशान घाट होते हुए रफीक के घर तक मिट्टी पटान व डामर सड़क मरम्मत कार्य।	17.00	प्राप्त	मरम्मत
	योग :–	56.35		

-6-

रू. 20.00 लाख से अधिक एवं 1.00 करोड़ तक की परियोजना

सिंचाई विभाग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
1	भोजपुर–शाहपुर बांध के कि0मी0 5.400 से 7.00 के मध्य बांधों के पुर्नस्थापना का कार्य।	62.57	प्राप्त	मरम्मत
2	भोजपुर–शाहपुर बांध के कि0मी0 1.800 से 2.200 एवं 6.100 से 6.600 के मध्य बल्ली स्कीन, स्टड के पुर्नस्थापना का कार्य।	83.74	प्राप्त	मरम्मत
	योग :–	**146.31**		

लोक निर्माण विभाग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की संस्तुति	कार्य की प्रकृति
1	बेलाकोडरी मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के क्षतिग्रस्त भाग में मरम्मत का कार्य	20.00	प्राप्त	मरम्मत
2	लक्ष्मीनगर सिरसिहवा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के कि0मी0 1, 2, 3, 4 व 5 में बोगी एक्शन भाग के मरम्मत का कार्य	21.00	प्राप्त	मरम्मत
	योग :–	**41.00**		

(एस0एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त